



MAGNIFICENT  
MP

संस्थागत वित्त संचालनालय

मध्य प्रदेश

ग-खण्ड, प्रथम तल,

विन्ध्याचल भवन, भोपाल- 462003

दूरभाष- 0755-2551199, 2552003

फैक्स- 0755-2551387

ई-मेल: difbho@mp.gov.in

वेब साइट: www.dif.mp.gov.in

क्र.एनबीएफसी/संविसं/2020/...४४२...-

भोपाल, दिनांक ५-मार्च 2020


प्रति

1. संभागायुक्त (समस्त), मध्य प्रदेश
2. कलेक्टर (समस्त), मध्य प्रदेश ।

विषय: जमा स्वीकार करने हेतु विभिन्न नियामकों द्वारा अधिकृत वित्तीय स्थापनाओं की जानकारी आमजन की सुविधा हेतु उपलब्ध कराने बावत ।

राज्य स्तरीय समन्वय समिति की 38वीं बैठक दिनांक 28/11/2019 में लिये गये निर्णय अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी (Securities and Exchange Board of India), एनएचबी (National Housing Bank) एवं आईआरडीए (Insurance Regulatory & Development Authority), आदि द्वारा जमा स्वीकार करने हेतु अधिकृत वित्तीय स्थापनाओं की समेकित जानकारी संचालनालय संस्थागत वित्त द्वारा विकसित पोर्टल "Searchable database of registered entities with financial regulators for common public" पर आमजन के लिये उपलब्ध कराई गई है । उक्त पोर्टल में जमा स्वीकार करने हेतु अधिकृत वित्तीय स्थापनाओं यथा राष्ट्रीय बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, राज्य के सहकारी बैंक, बहु-प्रदेशीय सहकारी बैंक, स्माल फाइनेन्स बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पेमेन्ट बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां (एनबीएफसी), इण्डिया पोस्ट पेमेन्ट बैंक के साथ-साथ, सेबी (SEBI), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा बीमा नियामक एवं विकास अभिकरण (आईआरडीए) द्वारा जमा स्वीकार करने हेतु अधिकृत वित्तीय स्थापनाओं की सूची उपलब्ध कराई गई है । उक्त सूची संचालनालय की वेबसाइट www.dif.mp.gov.in पर जमा स्वीकार करने हेतु अधिकृत वित्तीय स्थापनायें/ Financial establishments Authorized to accept deposits लिंक पर उपलब्ध है । सूची के अतिरिक्त कार्यरत अन्य स्थापनाओं द्वारा वित्तीय स्थापना के रूप में अपनी गतिविधियां संचालित नहीं की जा सकती हैं ।

अतः प्रदेश की जनता को जमा स्वीकार करने हेतु अधिकृत वित्तीय स्थापनाओं की जानकारी से अवगत कराया जाय, जिससे वे अनाधिकृत वित्तीय स्थापनाओं के स्थान पर अपनी बचत को सिर्फ अधिकृत स्थापनाओं में ही जमा कर सकें। उक्त व्यवस्था के व्यापक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था की जाय ।


  
(सुखवीर सिंह)  
आयुक्त  
संस्थागत वित्त

क्र.एनबीएफसी/संविसं/2020/...४४३-

भोपाल, दिनांक 4-मार्च 2020

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, विधि विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश, भोपाल ।
4. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अपराध जांच (CID), मध्य प्रदेश, भोपाल ।
5. महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW), मध्य प्रदेश, भोपाल ।
6. महानिदेशक, लोक अभियोजन, मध्य प्रदेश, भोपाल ।
7. अतिरिक्त महानिदेशक, साइबर क्राइम, मध्य प्रदेश, भोपाल ।
8. आयुक्त सह पंजीयक, सहकारी समितियां, मध्य प्रदेश, भोपाल ।
9. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्य प्रदेश, भोपाल ।
10. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, होशंगाबाद रोड, भोपाल ।



आयुक्त

संस्थागत वित्त